



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना मण्डावर

दिनांक 28.05.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 171/24 धारा 308/323/324/506/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.05.2024 को वादी श्री गौरव कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र लाखन 2.अमित पुत्र लाखन 3.ब्रहमकली पत्नी लाखन 4. सोनम पत्नी अमित नि0गण ग्राम सुक्खापुर थाना मण्डावर द्वारा वादी के पिता व भाई सौरभ के साथ गाली गलौच व मारपीट करते हुए धारदार हथियार से वार किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 171/24 धारा 308/323/324/506/504 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2024 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 171/24 धारा 308/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम सुक्खापुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.राहुल पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम सुक्खापुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 देवेन्द्र राठी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
- 2.का0 1414 राजीव थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 28.05.2024

थाना धामपुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम हरी अहमसेपुर जलाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजेन्द्र सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम हरी अहमसेपुर जलाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 722 रजनेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 28.05.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 221/2024 धारा 147/323/307/504/506/34 भादवि में
वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त लाठी/डंडा सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.05.2024 को वादी श्री अनवार पुत्र अबरार निवासी ग्राम जैनुलआबदीनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नईम 2.फईम 3.फिरोज 4.दानिश पुत्रगण शमीम अहमद 5.नजमा खातून 6.मुमताज पत्नी शमीम अहमद 7.शमीम अहमद पुत्र इद्दुशाह निवासीगण ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से से वादी के साथ गाली – गलौच करते हुए लाठी डंडो से मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 221/2024 धारा 147/323/307/504/506/34 भादवि बनाम नईम आदि उपरोक्त कुल 07 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.नईम 2.फईम पुत्रगण शमीम अहमद निवासीगण ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 डंडे बरामद किये गये । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.नईम पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.फईम पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त 02 डंडे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 596 कुलदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 28.05.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 151/24 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506/307 भादवि व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.03.2024 को वादी श्री बाबूराम पुत्र केसरी सिंह नि0 ग्राम मुख्तारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर हाथों में धारदार हथियार लेकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये वादी के घर में घुसकर वादी के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की तथा वादी के पड़ोसियों के साथ भी जान से मारने की नियत से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 151/24 धारा 147/148/149/452/323/324 /504/506/307 भादवि व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी एक्ट बनाम 1.पंकज पुत्र धर्मेन्द्र सिंह 2.आलोक 3.राजन उर्फ टिंकू पुत्रगण नरेश 4.उज्ज्वल पुत्र उमेश 5.डिम्पल पुत्र सुरेश 6.भूपेश 7.योगेश पुत्रगण जयपाल 8.तरुण पुत्र भूपेश 9.आकाश पुत्र उमेश नि0गण ग्राम मुख्तारपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर 10.विपिन पुत्र पासीराम नि0 ग्राम पदारथपुर नजीबाबाद बिजनौर पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 151/24 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506/307 भादवि व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी एक्ट में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त हेमन्त पुत्र भूपेश चौहान निवासी मुख्तारपुर उर्फ हकीमपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- दिनांक 26.03.2024 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त योगेश पुत्र जयपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियोग में अभियुक्त पंकज व विपिन उपरोक्त की नामजदगी झूठी पायी गयी। अभियुक्तगण आलोक, राजन उर्फ टिंकू, उज्ज्वल, डिम्पल, भूपेश, तरुण, आकाश उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.हेमन्त पुत्र भूपेश चौहान निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० इलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

2-का० 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 28.05.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 242/24 धारा 306 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.05.2024 को वादी श्री बेगराज सिंह पुत्र कन्हैया सिंह निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वादी की बहन का अपने पति सोनी पुत्र तिरमल सिंह निवासी मिट्टेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के साथ झगडा हुआ था, जिस कारण वादी की बहन ने परेशान होकर जंगल में जाकर पेड से लटककर आत्महत्या कर ली । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 306 भादवि बनाम सोनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सोनी पुत्र तिरमल सिंह निवासी मिट्टेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

सोनी पुत्र तिरमल सिंह निवासी मिट्टेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.कां0 2503 रवि सिमर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 28.05.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता को बहलाफुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.12.2020 को वादी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को अभियुक्त शिवा जोशी पुत्र गजे जोशी निवासी मौ० विश्रोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर आदि बहलाफुसलाकर ले गया। इस संबंध में थाना नगीना पर मु०अ०सं० 582/20 धारा 363/366 भादवि, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में धारा 376 भादवि की वृद्धि की गई। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 28.05.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 582/20 धारा 363/366/376 भादवि, धारा 04 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्त शिवा जोशी पुत्र गजेन्द्र उर्फ गजे जोशी निवासी मौ० जोशियान पुरा बस स्टैण्ड कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर हाल पता मौ० विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- शिवा चौधरी पुत्र गजेन्द्र उर्फ गजे जोशी निवासी मौ०हल्ला जोशियान पुरा बस स्टैण्ड कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर हाल पता मौ० विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 28.05.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 251/2024 धारा 342/327/323/504/506 भादवि में वांछित
03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 24.05.2024 को वादिनी का पुत्र बुडेरन मार्ग पर स्थित बाग में मिट्टी लेने गया था । इसी दौरान अभियुक्तगण 1.फहीम पुत्र कबीर निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.सादिक पुत्र यामीन निवासी मौ0 शफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.शाहिद उर्फ साजिद पुत्र बाबू खां निवासी मौ0 शफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने विरोध करते हुए वादिनी के पुत्र को रस्सी से बांधकर घसीटा तथा मारपीट की गयी, जिसकी वीडियो भी बना ली ।



वादिनी अपने पुत्र को छुडाने गयी तो तीनों अभियुक्तों ने वादिनी के साथ गाली – गलौच की तथा वीडियो वायरल करने एवं वादिनी के पुत्र को चोरी के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी देने लगे और पैसों की मांग करने लगे । इसके बाद अभियुक्तों ने दो हजार रुपये लेकर वादिनी के पुत्र को छोडा तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 251/2024 धारा 342/327/323/504/506 भादवि बनाम 1.सादिक 2.फहीम व 3.साजिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 28.05.2024 को उपरोक्त घटना से सम्बन्धित वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुआ ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.फहीम पुत्र कबीर निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.सादिक पुत्र यामीन निवासी मौ0 शफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.शाहिद उर्फ साजिद पुत्र बाबू खां निवासी मौ0 शफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. फहीम पुत्र कबीर निवासी मौ० चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. सादिक पुत्र यामीन निवासी मौ० शफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. शाहिद उर्फ साजिद पुत्र बाबू खां निवासी मौ० शफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० वीरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. उ०नि० कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. हे०कां० 707 शकील अहमद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. कां० 1962 रजनीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 28.05.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मृत्यु भय दिखाकर आमजन को ठगने वाले गैंग के 03 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ₹ 3,20,000 /- (तीन लाख बीस हजार रुपये) बरामद किये गये ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.05.2024 को वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम दबथला थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.भूरा पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम अथाई अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.अकुल उर्फ अंकुर उर्फ बादशाह पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम रत्तनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर 3.अनुज पुत्र परवेन्द्र निवासी ग्राम



रत्तनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर 4.नितिन पुत्र तारा जोशी निवासी ग्राम चुचैला कला थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा 5.विकास पुत्र नरेन्द्र जोशी निवासी मौ0 जोशियान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 6.देवेन्द्र पुत्र नामालूम निवासी गजरौला थाना गजरौला जनपद अमरोहा द्वारा वादी के परिवार को जीवन मृत्यु का भय दिखाकर 6,21,000 रुपये ठग लिये तथा 8,00,000/- रुपये की मांग की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 419/420/386/387/120बी भादवि बनाम भूरा आदि उपरोक्त कुल 06 नफर पंजीकृत किया गया । इसी प्रकार लोगों से ठगी करने के सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर भी उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 210/2024 धारा 419/420/386/387/120बी/506 भादवि पंजीकृत है ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.भूरा पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम अथाई अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.अनुज पुत्र परवेन्द्र निवासी ग्राम रत्तनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर 3.नितिन पुत्र तारा जोशी निवासी ग्राम चुचैला कला थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से ठगकर प्राप्त किये गये ₹ 3,20,000 /- (तीन लाख बीस हजार रुपये) बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । शेष 03 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम अपने साथी अंकुल उर्फ अंकुर उर्फ बादशाह पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 2.विकास पुत्र नरेन्द्र जोशी निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 3.देवेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी गजरौला थाना गजरौला जनपद अमरोहा के साथ मिलकर लोगो को उनकी समस्याओं का समाधान करने के नाम पर पूजा अर्चना आदि क्रिया कराने के लिए रुपये लेते हैं। जिसमें अंकुल उर्फ अंकुर उर्फ बादशाह उपरोक्त द्वारा एक बाबा का रूप धारण किया जाता है तथा देवेन्द्र उपरोक्त द्वारा एक माता का रूप धारण किया जाता है, जिसके द्वारा अपने हाथों पर किसी प्रकार का पदार्थ लगाकर आग लगायी जाती है जिससे कि उसके हाथ जलते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तविकता में हाथ जलते नहीं है। विकास उपरोक्त द्वारा अंकुल (बाबा) के गुरु बाबा का रूप धारण किया जाता है एवं भूरा उपरोक्त द्वारा लोगो को अंकुल उर्फ अंकुर उर्फ बादशाह उपरोक्त से मिलवाने का काम किया जाता है एवं अनुज व नितिन उपरोक्त रुपये लिये जाने व पूजा आदि किये जाने के दौरान निगरानी की जाती है। हमारे द्वारा पूरी कार्यवाही रुपयों के लिये की जाती है एवं बताये अनुसार रुपये न दिये जाने पर व्यक्तियों को उनके परिवार सहित मार देने की बात की जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.भूरा पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम अथाई अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.अनुज पुत्र परवेन्द्र निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 3.नितिन पुत्र तारा जोशी निवासी ग्राम चुचैला कला थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा

बरामदगी –

₹ 320,000 /- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.व0उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 584 सन्दीप कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 609 आर्यन पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 5.कां0 749 राजदीप सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 6.कां0 695 नवीन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 7.कां0 830 धर्मेन्द्र कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर